# न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 125/अ-20(3)/2023-24

## आदेश

( दिनांक 30/12/2024 को पारित )

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम शिवगढ तहसील आगर स्थित की कुल किता 7 कुल भूमि 52.3700 हेक्टेयर भूमि में से 43.00 हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम शिवगढ की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

| क्रमांक | सर्वे क्रमांक | रकबा (हेक्टेयर में ) | आवेदित रकबा (हेक्टेयर में ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 652 | 14.350 | 10.17 |
| 2 | 653 | 5.650 | 5.650 |
| 3 | 644 | 8.960 | 6.270 |
| 4 | 648 | 4.600 | 4.600 |
| 5 | 467 | 4.440 | 4.440 |
| 6 | 654 | 1.750 | 1.750 |
| 7 | 647 | 12.620 | 10.120 |
| | **कुल किता 7** | **52.3700 हेक्टेयर** | **43.00 हेक्टेयर** |

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में एच आर पंजी जावक क्रमांक **1006-1008** दिनांक **04. 09.2024** को विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। दो समाचार (दैनिक भास्कर, नईदुनिया) पत्रो में विज्ञप्ति का प्रकाशित की गई है। प्रकरण में जावक पंजी क्रमांक **835-841** कानड दिनांक **04.09.2024** से कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन ,कार्यालय अधीक्षण यंत्री संचा/संधा) म०प्र०प०क्ष०वि०वि० कं० लिमि० आगर वृत्त , कार्यपालन यंत्री लो०नि०वि० (भ/प) संभाग आगर मालवा को अभिमत हेतु लिखा गया था किन्तु उनका अभिमत अप्राप्त है। प्रकरण में उक्त विभागों को पत्र जारी करने के उपरांत भी उक्त विभागों द्वारा अभिमत प्रदान नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश नजूल निर्वतन निर्देश **2020** की कण्डिका **48(2)** (झ) के अनुसार निर्धारित समयावधि में अभिमत / परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जावेगा की उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः कण्डिका अनुसार उक्त विभागो को कोई आपत्ति नहीं है।प्रकरण में जावक पंजी क्रमांक **835-841** कानड दिनांक **04.09. 2024** से ग्राम पंचायत शिवगढ को पत्र लिखा गया था, आपत्ति प्राप्त हुई जिसमें उल्लेख किया गया कि ग्राम शिवगढ में गायों के लिये दो शासकीय गोशाला संचालित है जिसमे लगभग **300** एवं ग्राम में भी लगभग **200** पशुओं कृषकों के पास है। ग्रामों की गाय भी शिवगढ़ की भूमि पर चरने आती है। अतः ग्राम शिवगढ की भूमि आवंटित नहीं की जावे ।पटवारी ग्राम शिवगढ़ तहसील आगर जिला आगर मालवा के द्वारा (प्रारूप -5) में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम शिवगढ़ के सर्वे क्रमांक **652** रकबा **14.35** में से **10.17** हे., **653** रकबा **5.65** हे. , **644** रकबा **8.96** में से **6.27** हे., **648** रकबा **4.60** हे., **467** रकबा **4.44** हे., **654** रकबा **1.75** हे., **647** रकबा **12.62** में से **10.12** हेक्टयर कुल किता **7** कुल रकबा **52.37** हे. में से **43.00** हेक्टयर भूमि का आवंटन चाहा गया है. जिसके संबंध में मेरे द्वारा मौका जांच कर पूर्व में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जो बंदोबस्त वर्ष **1995-96** के आधार पर तैयार किया गया था। वर्ष **2012-13** में अंतिम हस्तलिखित खसरे अनुसार प्रतिवेदन चाहा गया है जो कि निम्नानुसार है, ग्राम में खाते की भूमि का कुल रकबा **301. 97** हेक्टयर है जिसका **2%** चरनोई का रकबा

**6.03** हेक्टयर होता है। ग्राम में कुल चरनोई भूमि **8.68** हेक्टयर है जिसमें से आवेदक को **2.17** हेक्टयर भूमि प्रदाय करने से ग्राम मे चरनोई की भूमि **6.51** हेक्टयर बचेगी जो कि **2** चरनोई के रकबे से अधिक है। आवेदित भूमि पर मौका जांच के दौरान उपस्थित ग्रामवासियो एवं ग्राम पंचायत शिवगढ़ द्वारा भूमि आवंटन किए जाने पर मौखिक आपत्ति दर्ज कराई थी । आपत्ति के संबंध में में ग्राम पंचायत सरपंच एव सचिव द्वारा नायब तहसीलदार कानड के समक्ष में उपस्थित हुए तथा आपत्ति की सुनवाई उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार सर्वे क्रमांको से गौचर हेतु भूमि का आवंटन चाहा गया है।

| क्रमांक | सर्वे क्रमांक | रकबा (हेक्टेयर में ) | वन विभाग को आवंटित किये जाने योग्य रकबा ( हेक्टेयर में ) | ग्राम पंचायत द्वारा गोचर हेतु सुरक्षित रखा जाने वाला रकबा ( हेक्टेयर में ) | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652 | 14.350 | 7.84 | 6.51 | गोचर हेतु |
| 2 | 653 | 5.650 | 0.65 | 5.00 | गोचर हेतु |
| 3 | 644 | 8.960 | 6.27 | 2.00 | खेल मैदान हेतु |
| 4 | 648 | 4.600 | 4.60 | -- | -- |
| 5 | 467 | 4.440 | 4.44 | -- | -- |
| 6 | 654 | 1.750 | 1.75 | -- | -- |
| 7 | 647 | 12.620 | 10.12 | -- | -- |
| | कुल किता 7 | 52.37 | 35.67 | 13.51 | |

इस प्रकार ग्राम पंचायत शिवगढ द्वारा आवंटन किए जाने वाली भूमि में से 13.51 हेक्टेयर भूमि ग्राम उपयोग हेतु रखे जाने का निवेदन किया है तथा ग्राम की 35.67 हे. भूमि को आवेदित संस्था के आवेदन पर वन विभाग को भूमि आवंटन करने में कोई आपत्ति नहीं होना उल्लेख किया है। आवेदक द्वारा पटवारी को समक्ष में दिए गए **Cadastral map** में **Proposed** क्षेत्र में वर्तमान में कोई भी अतिक्रमण नहीं है। सर्वे क्रमांक **647** में दो शासकीय पट्टेदार **(1)** भंवरबाई पति अमरा जाति चमार निग्रा शिवगढ **(2)** मोहन, उमराव पिता नारायण एवं रेखाबाई पति मोहन जाति चमार निग्रा शिवगढ प्रत्येक **0.50** हेक्टयर पर काबिज है जिसे **Cadastral map** में **Proposed** क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। सर्वे क्रमांक **644** में दक्षिण दिशा की ओर महेश पिता रामविलास जाति ब्राहम्ण रकबा **0.40** हेक्टयर, फारुख पिता इमाम रकबा **1.00** हेक्टयर, आजाद पिता अब्बास खां व मुमताज पिता बेली खां रकबा **0.20** द्वारा अतिक्रमण किया गया है। साथ ही पूर्व दिशा में बालु पिता मांगु जाति चमार, रमेश पिता सिद्ध जाति चमार द्वारा **0.40** हेक्टयर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है एवं सर्वे क्रमांक **647** के पश्चिम मेड पर विक्रम पिता कालू द्वारा **0.20** हेक्टयर भूमि पर अतिक्रमण किया है। हांलाकि **Cadastral map** में उक्त समस्त अतिक्रमित क्षेत्रो **Proposed** क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। पटवारी के द्वारा प्रारूप-**5** में रिपोर्ट, प्रिमियम राशि का गणना पत्रक सलग्न किये गये जिसमें कलेक्टर महोदय की गाईड लाईन वर्ष **2024-25** के अनुसार ग्राम शिवगढ की सिंचित भूमि **15,22,600/-** (पंद्रह लाख बाईस हजार छः सौ रूपये) प्रति हेक्टयर के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-**6-101/2019**/सात **3** के पैरा क्रमांक **05** के अनुसार बाजार मूल्य के **1.6** गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से **8,68,97,827/-** (आठ करोड अडसठ लाख सन्तानवे हजार आठ सौ सत्ताईस रूपये ) होता है। नायब तहसीलदार कानड द्वारा पटवारी ग्राम शिवगढ तहसील आगर की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम शिवगढ तहसील आगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 652 रकबा 14.35 में से 7.84 हे., 653 रकबा 5.65 में से 0.65 हे. , 644 रकबा 8.96 में से 6.27 हे., 648 रकबा 4.60 हे., 467 रकबा 4.44

हे., 654 रकबा 1.75, 647 रकबा 12.62 में से 10.12 हे. कुल किता 7 कुल रकबा 52.37 हे. में से 35.67 हेक्टेयर राजस्व भूमि विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार कानड के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 09.12.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम शिवगढ तहसील आगर स्थित भूमिं सर्वे क्रमांक 652 रकबा 14.35 में से 7.84 **हे.**, 653 रकबा 5.65 में से 0.65 हे. , 644 रकबा 8.96 में से 6.27 हे., 648 रकबा 4.60 हे., 467 रकबा 4.44 हे., 654 रकबा 1.75, 647 रकबा 12.62 में से 10.12 हे. कुल किता 7 कुल रकबा 52.37 हे. में से 35.67 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 09.12.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम शिवगढ तहसील आगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 652 रकबा 14.35 में से 7.84 **हे.**, 653 रकबा 5.65 में से 0.65 हे. , 644 रकबा 8.96 में से 6.27 हे., 648 रकबा 4.60 हे., 467 रकबा 4.44 हे., 654 रकबा 1.75, 647 रकबा 12.62 में से 10.12 हे. कुल किता 7 कुल रकबा 52.37 हे. में से 35.67 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम शिवगड तहसील आगर स्थित कुल किता 7 कुल रकबा **52.37** हे. में से **35.67** हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण निर्धारण **8,68,97,827/-** (आठ करोड अडसठ लाख सन्तानवे हज़ार आठ सौ सत्ताईस रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

5/ नायब तहसीलदार कानड , की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवावें।

30/12/24

(राघवेन्द्र सिंह)

कलेक्टर

जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 125/अ-20(3)/2023-24

क्रमांक/रीडर/2024/524

आगर मालवा, दिनांक 30/12/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार कानड , की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

30/12/24

कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

# खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

| ग्राम:शिवगड़ | | | पटवारी हल्का:शिवगढ़ | | | तहसील:आगर | | | जिला:आगर-मालवा | | वर्ष: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)<br>2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है<br>3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. पट्टे की अवधि<br>3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार<br>1. बंधक<br>2. दृष्टिबंधक<br>3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे<br>फसल<br>1. खरीफ<br>2. रबी<br>3. जायद<br>4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति<br>2. भूमि पर संरचना /वृक्ष<br>3. अन्य अभियुक्तियाँ<br>4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1342379902<br>81LQ9VD94TLTH0 | 467 (S) | | 4.4400 हेक्टेयर<br>बर्डी 4.4400<br>रु.0.00 | (शासकीय)<br>वन विभाग मध्यप्रदेश शासन<br>शासकीय संस्था | 1 | | | | | | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0125/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 30/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

# खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम:शिवगड़ | | | पटवारी हल्का:शिवगढ़ | | | तहसील:आगर | | | जिला:आगर-मालवा | | वर्ष: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1612324102<br>81LN3ND94Z7JH0 | 644/1 (S) | | 0.5700 हेक्टेयर<br>रु.0.00 | (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था | 1 | | | | | | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0125/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 30/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। |

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

# खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

| ग्राम:शिवगड़ | | | पटवारी हल्का:शिवगढ़ | | | तहसील:आगर | | | जिला:आगर-मालवा | | वर्ष: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे | | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| | | | | | | | | | फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1612324124<br>81LN5HD94N2CH0 | 644/3<br>(S) | | 5.7000<br>हेक्टेयर<br>रु.0.00 | (शासकीय)<br>वन विभाग<br>मध्यप्रदेश शासन<br>शासकीय संस्था | 1 | | | | | | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0125/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 30/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

# खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

| ग्राम:शिवगड़ | | | पटवारी हल्का:शिवगढ़ | | | तहसील:आगर | | | जिला:आगर-मालवा | | वर्ष: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे<br>फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1612324157<br>81LNBMD94R9DH0 | 647/1/2 (S) | | 10.1200 हेक्टेयर<br>रु.0.00 | (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था | 1 | | | | | | न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्र. 0076/अ-6(अ)/2024-25, आदेश दि. 30/07/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।<br>न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0125/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 30/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

# खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

| ग्राम:शिवगड़ | | | पटवारी हल्का:शिवगढ़ | | | तहसील:आगर | | | जिला:आगर-मालवा | | वर्ष: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)<br>2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है<br>3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. पट्टे की अवधि<br>3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार<br>1. बंधक<br>2. दृष्टिबंधक<br>3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे<br>फसल<br>1. खरीफ<br>2. रबी<br>3. जायद<br>4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति<br>2. भूमि पर संरचना /वृक्ष<br>3. अन्य अभियुक्तियाँ<br>4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1391908228<br>81LKSKD94UZSH0 | 648 (S) | | 4.6000<br>हेक्टेयर<br>बर्डी<br>4.6000<br>रु.0.00 | (शासकीय)<br>वन विभाग मध्यप्रदेश शासन<br>शासकीय संस्था | 1 | | | | | | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0125/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 30/12/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

# खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

| ग्राम:शिवगड़ | | | पटवारी हल्का:शिवगढ़ | | | तहसील:आगर | | | जिला:आगर-मालवा | | वर्ष: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे<br>फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी परिस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1612324179<br>81LLH4D94RC9H0 | 652/2 (S) | | 7.8400 हेक्टेयर<br>रु.0.00 | (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था | 1 | | | | | | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0125/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 30/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

# खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

| ग्राम:शिवगड़ | | | पटवारी हल्का:शिवगढ़ | | | तहसील:आगर | | | जिला:आगर-मालवा | | वर्ष: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)<br>2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है<br>3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. पट्टे की अवधि<br>3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार<br>1. बंधक<br>2. दृष्टिबंधक<br>3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे<br>फसल<br>1. खरीफ<br>2. रबी<br>3. जायद<br>4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति<br>2. भूमि पर संरचना /वृक्ष<br>3. अन्य अभियुक्तियाँ<br>4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1610830067<br>81LYY3D94VCJH0 | 653/2<br>(S) | | 0.6500<br>हेक्टेयर<br>रु.0.00 | (शासकीय)<br>वन विभाग मध्यप्रदेश शासन<br>शासकीय संस्था | 1 | | | | | | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0125/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 30/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । |

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

# खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

| ग्राम:शिवगड़ | | | पटवारी हल्का:शिवगढ़ | | | तहसील:आगर | | | जिला:आगर-मालवा | | वर्ष: 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमि के भाग की यूनिक आईडी | भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक) | भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में) | 1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)<br>2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है<br>3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में) | 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. शासकीय भूमि | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश | 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता<br>2. पट्टे की अवधि<br>3. पट्टे के अधीन क्षेत्र | मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता | भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार<br>1. बंधक<br>2. दृष्टिबंधक<br>3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन | फसल के ब्यौरे<br>फसल<br>1. खरीफ<br>2. रबी<br>3. जायद<br>4. अन्य | फसल के अधीन क्षेत्रफल | 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति<br>2. भूमि पर संरचना /वृक्ष<br>3. अन्य अभियुक्तियाँ<br>4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1393195004<br><br>81LHJ4D94VQKH0 | 654 (S) | | 1.7500<br>हेक्टेयर<br><br>बर्डी<br>1.7500<br><br>रु.0.00 | (शासकीय)<br>वन विभाग मध्यप्रदेश शासन<br>शासकीय संस्था | 1 | | | | | | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0125/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 30/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

specimen copy